वित्त निर्देश 39/2002

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

क्रमांक 1051/बी-1/ वित्त/चार/2002 रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत व्यय के संबंध में ।

संदर्भः-इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक 282/200/बी-1/चार, दिनांक 27.2.2002 एवं ज्ञाप क्रमांक 1010/669/2001/बी-1/चार, दिनांक 13.9.2002.

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि कतिपय प्रशासकीय विभाग केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित राशि का आहरण बिना वित्त विभाग की सहमति के कर रहे है, जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमिमता है । सभी विभाग कृपया यह सुनिश्चित करें कि सन्दर्भित ज्ञापन द्वारा दिये जा रहे दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो । सुलभ सन्दर्भ हेतु सन्दर्भित ज्ञापन की प्रति संलग्न है । यह निर्देश वित्त विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है ।

(गौरव द्विवेदी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 1052/बी-1/ वित्त/चार/2002 रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर, 2002

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल महोदय/सैनिक सचिव/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
2. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ, बिलासपुर ।
3. सचिव, विधानसभा सचिवाालय, रायपुर ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, फाफाडीह, रायपुर ।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
6. अवर सचिव (स्थापना), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
7. अवर सचिव (अधीक्षण), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।

8. विशेष सहायक/निज सहायक ..... मंत्री/राज्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
9. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, मत्रालय, रायपुर ।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
10. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
11. समस्त बजट शाखा, वित्त विभाग
12. कार्यालयीन प्रति

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग